भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2094
06 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज की गलत गणना

2094 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा उपज की गलत गणना करके किसानों को भुगतान करने के कई मामले सामने आए हैं, और ऐसे कितने मामलों का समाधान किया गया है;

(ख) यदि हां, विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कई राज्यों ने मंत्रालय के अधिकारियों से भी चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त बैठकों में क्या निर्णय लिए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार दावों की गणना के लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर उपज डेटा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग एवं फसलोपरांत नुकसान के स्थानीय जोखिमों के कारण नुकसान की गणना राज्य सरकार और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है।

तथापि, सरकार योजना की बारीकी से निगरानी करती है और तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के माध्यम से राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच उपज डेटा से संबंधित मुद्दों का केंद्रीय स्तर पर समाधान करती है।

******